National Journal of Research and Innovative Practices (NJRIP)
Vol-10 | Issue-02, 2025 | ISSN: 2456-1355 | http://www.edusanchar.com

भारत में समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण पर अध्धयन

डॉ0 कंचन जैन
सनराइज विश्वविद्यालय
शिक्षा शास्त्र विभाग

Swati Dwivedi
Lal bahadur shastri college, Kota

शोध सार -

समावेशी शिक्षा भारतीय संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है और विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में दोहराया गया है। यह अध्याय उन बहुआयामी दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालता है, जिन्हें भारत ने सभी बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है, चाहे उनकी योग्यताएँ या पृष्ठभूमि कुछ भी हों। यह समावेशी शिक्षा नीतियों के विकास, सरकारी पहलों की भूमिका और आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों का पता लगाता है।
समावेशी शिक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता इसकी नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों में स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है कि सभी बच्चों को, उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच मिले। चुनौतियों का समाधान करके और अवसरों का लाभ उठाकर, भारत सभी के लिए अधिक समावेशी और न्यायसंगत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

मुख्य शब्द – समावेशी शिक्षा, भारत, विकलांगता, विशेष शिक्षा, नीति, सरकारी पहल, चुनौतियाँ, अवसर

प्रस्तावना

विविध स्वतंत्रता और जटिल सामाजिक ताने–बाने के साथ, भारत ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पारंपरिक, अलग–अलग मॉडलों से समावेशी प्रथाओं में इस प्रतिमान बदलाव का उद्देश्य सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सीखने के माहौल का निर्माण करना है। यह अध्याय समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में लागू की गई प्रमुख रणनीतियों और पहलों की जाँच करता है, जो की गई प्रगति और आगे ध्यान देने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है।

समावेशी शिक्षा नीतियों का विकास

भारत में समावेशी शिक्षा की ओर यात्रा नीति विकास और विधायी ढाँचों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, एक ऐतिहासिक कानून है, जो 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य बनाता है। यह समावेशी शिक्षा के महत्व पर जोर देता है और विकलांग बच्चों की शिक्षा में बाधा डालने वाली बाधाओं को दूर करने का आह्वान करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है, एक बाल–केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत करती है जो व्यक्तिगत अंतरों को पहचानती है और समानता और सुलभता को बढ़ावा देती है।

सरकारी पहल और कार्यक्रम

भारत सरकार ने समावेशी शिक्षा का समर्थन करने के लिए कई पहल शुरू की हैं। सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान प्रमुख कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य विकलांग बच्चों सहित सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। ये कार्यक्रम समावेशी स्कूल वातावरण बनाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, सहायक उपकरणों के प्रावधान और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अलावा, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय पहल समावेशी शिक्षाशास्त्र और प्रथाओं पर शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करती है।

चुनौतियाँ और अवसर

महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, भारत में समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इनमें प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और विकलांग बच्चों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण शामिल हैं।, ये चुनौतियाँ नवाचार और सुधार के अवसर भी प्रस्तुत करती हैं। शिक्षक प्रशिक्षण में निवेश करके, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराकर और समावेशी स्कूल संस्कृतियों को बढ़ावा देकर, भारत इन बाधाओं को दूर कर सकता है और वास्तव में समावेशी शिक्षण वातावरण बना सकता है।

भारत के समावेशी शिक्षा दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण

भारत ने हाल के वर्षों में समावेशी शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, एक प्रतिमान बदलाव जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं या अक्षमताओं की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यह दृष्टिकोण, आशाजनक होने के साथ–साथ, लाभों और चुनौतियों का एक जटिल अंतर्संबंध प्रस्तुत करता है।

भारत के समावेशी शिक्षा दृष्टिकोण के लाभ

मजबूत नीतिगत ढांचाः भारत का कानूनी ढांचा, जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम और विकलांग व्यक्ति अधिनियम शामिल हैं, समावेशी शिक्षा के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। ये कानून समावेशी प्रथाओं को अनिवार्य करते हैं और उनके कार्यान्वयन के लिए संसाधन आवंटित करते हैं।

जागरूकता और संवेदनशीलता: गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज द्वारा वकालत के प्रयासों के साथ–साथ सरकारी पहलों ने विकलांग बच्चों के अधिकारों और समावेशी शिक्षा के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाई है।

बुनियादी ढांचे का विकास: सुलभ स्कूल बुनियादी ढांचे में निवेश और सहायक प्रौद्योगिकियों के प्रावधान ने समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

समुदाय की भागीदारी: समुदाय–आधारित संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों ने समावेशी शिक्षा का समर्थन करने, संसाधन, प्रशिक्षण और वकालत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

छात्रों के परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव: शोध से पता चलता है कि समावेशी शिक्षा सभी छात्रों के लिए शैक्षणिक और सामाजिक परिणामों को बेहतर बना सकती है, जिसमें विकलांग छात्र भी शामिल हैं। यह सहानुभूति, सहिष्णुता और अधिक समावेशी स्कूल संस्कृति को बढ़ावा देती है।

चुनौतियाँ और हानि

कार्यान्वयन अंतराल: मजबूत नीतिगत ढांचे के बावजूद, जमीनी स्तर पर समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। कई स्कूलों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, आवश्यक संसाधनों, प्रशिक्षित शिक्षकों और सुलभ बुनियादी ढाँचे की कमी है।

व्यवहार संबंधी बाधाएँ: विकलांगता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह समावेशी शिक्षा में बाधा डालते रहते हैं। नकारात्मक रूढ़ियाँ और भेदभाव विकलांग बच्चों और उनके परिवारों के लिए बाधाएँ पैदा कर सकते हैं।

शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: जबकि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, शिक्षकों को विविध शिक्षार्थियों का समर्थन करने के लिए आवश्यक विशेष कौशल से लैस करने के लिए अधिक व्यापक और निरंतर व्यावसायिक विकास की आवश्यकता है।

सीमित पहुँच: कई स्कूलों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, विकलांग छात्रों के लिए पर्याप्त पहुँच सुविधाएँ, सहायक प्रौद्योगिकियाँ और सहायता सेवाएँ नहीं हैं।

मूल्यांकन और मूल्यांकन चुनौतियाँ: वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली पूरी तरह से समावेशी नहीं हो सकती है और सभी छात्रों, विशेष रूप से विकलांग छात्रों की क्षमताओं को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है। लचीली मूल्यांकन प्रथाओं की आवश्यकता है जो विविध सीखने की जरूरतों को पूरा करती हैं।

समावेशी शिक्षा में भारत का योगदान: एक व्यापक विश्लेषण

भारत ने समावेशी शिक्षा को लागू करने की दिशा में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, एक प्रतिमान बदलाव जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं या अक्षमताओं की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यह दृष्टिकोण, जबकि अभी भी विकसित हो रहा है, ने भारतीय शिक्षा प्रणाली पर गहरा प्रभाव डाला है। यह पेपर समावेशी शिक्षा में भारत के प्रमुख योगदानों पर गहराई से चर्चा करेगा, इसकी सफलताओं और चुनौतियों दोनों पर प्रकाश डालेगा।

नीति और विधायी ढांचा

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009: यह ऐतिहासिक कानून 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, जिसमें विकलांग बच्चे भी शामिल हैं। यह समावेशी शिक्षा को अनिवार्य बनाता है और इसने स्कूलों में नामांकित विकलांग बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 2016: यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और पात्रताओं के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है, जिसमें शिक्षा तक पहुँच शामिल है। यह विकलांग छात्रों को शामिल करने की सुविधा के लिए स्कूलों में उचित समायोजन को अनिवार्य बनाता है।

संस्थागत तंत्र

सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा मंत्रालय के इस प्रमुख कार्यक्रम ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने शिक्षक प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे के विकास और सहायक उपकरणों के प्रावधान के लिए धन मुहैया कराया है।

समग्र शिक्षा: स्कूली शिक्षा के लिए इस एकीकृत योजना ने स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेश सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रयासों को जारी रखा है।

शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम: शिक्षक शिक्षा संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि भावी शिक्षकों को विविध शिक्षार्थियों का समर्थन करने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस किया जा सके।

सेवाकालीन प्रशिक्षण: समावेशी शिक्षा सिद्धांतों और प्रथाओं की समझ बढ़ाने के लिए शिक्षकों के लिए नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में अक्सर व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र, कार्यशालाएँ और समावेशी स्कूलों में एक्सपोजर विजिट शामिल होते हैं।

अवसंरचना विकास

सुगम विद्यालय अवसंरचना: सरकार ने विकलांग बच्चों के लिए उन्हें सुलभ बनाने के लिए विद्यालयों के निर्माण और नवीनीकरण में निवेश किया है। इसमें रैंप, लिफ्ट और बाधा–मुक्त शौचालय शामिल हैं।

सहायक प्रौद्योगिकी: विकलांग छात्रों की सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक उपकरण और प्रौद्योगिकी प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं, जैसे ब्रेल किट, श्रवण यंत्र और भाषण चिकित्सा उपकरण।

पाठ्यक्रम और शैक्षणिक नवाचार

समावेशी पाठ्यक्रमः राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एक समावेशी पाठ्यक्रम को बढ़ावा देती है जो सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के उपयोग पर जोर देता है, जैसे सक्रिय शिक्षण, सहकारी शिक्षण और अनुभवात्मक शिक्षण।

लचीली मूल्यांकन पद्धतियाँः छात्रों की विविध शिक्षण शैलियों और क्षमताओं को समायोजित करने के लिए समावेशी मूल्यांकन प्रथाओं को प्रोत्साहित किया गया है। इसमें पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट और प्रदर्शन–आधारित मूल्यांकन जैसे वैकल्पिक मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग शामिल है।

सामुदायिक जागरूकता

सामुदायिक लामबंदीः समुदाय–आधारित संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों ने समावेशी शिक्षा की वकालत करने और विकलांग बच्चों और उनके परिवारों को सहायता सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जागरूकता अभियानः सरकार और गैर–सरकारी संगठनों ने विकलांग बच्चों के अधिकारों और समावेशी शिक्षा के लाभों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए हैं।

भारत में समावेशी शिक्षा के लिए सरकारी पहल

भारत ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, एक प्रतिमान बदलाव जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं या अक्षमताओं की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। सरकार ने सभी के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों को लागू किया है। यह निबंध भारत में समावेशी शिक्षा पर प्रमुख सरकारी पहलों और उनके प्रभाव पर गहराई से चर्चा करता है।

नीतिगत रूपरेखा

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009: यह ऐतिहासिक कानून 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों, जिनमें विकलांग बच्चे भी शामिल हैं, के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। यह समावेशी शिक्षा को अनिवार्य बनाता है और इसने स्कूलों में नामांकित विकलांग बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 (2016 में संशोधित): यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और पात्रताओं के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें शिक्षा तक पहुँच शामिल है। यह विकलांग छात्रों को शामिल करने की सुविधा के लिए स्कूलों में उचित समायोजन को अनिवार्य बनाता है।

सरकार की पहल

1. **सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)**

- शिक्षा मंत्रालय के इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य सभी बच्चों को सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। यह समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायक रहा है।

- बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षक प्रशिक्षण और विशेष शिक्षा सामग्री के लिए धन उपलब्ध कराना।
- समावेशी स्कूलों और संसाधन केंद्रों की स्थापना का समर्थन करना।
- विशेष शिक्षकों और प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती को प्रोत्साहित करना।

2. रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आरवीपीईआई)

- शिक्षा मंत्रालय के तहत यह स्वायत्त निकाय समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:
- समावेशी कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण–शिक्षण सामग्री विकसित करना।
- शिक्षकों और शिक्षाविदों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करना।
- समावेशी शिक्षा पर शोध और मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करना।

3. **राष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीडी)**

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत यह संस्थान विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।
- समावेशी शिक्षा के लिए दिशा–निर्देश और मानक विकसित करना।
- समावेशी शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- विकलांगता मुद्दों पर अनुसंधान और वकालत करना।

4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई)

इस नियामक निकाय ने समावेशी शिक्षा को शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। यह सुनिश्चित करता है कि भावी शिक्षक विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस हों।

चुनौतियाँ और भविष्य की दिशाएँ

भारत में समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

व्यावहारिक बाधाएँ: विकलांगता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह समावेशी शिक्षा में बाधा डालते रहते हैं।

पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का अभाव: कई स्कूलों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, विकलांग छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं का अभाव है।

शिक्षक प्रशिक्षण: जबकि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, शिक्षकों को विविध शिक्षार्थियों का समर्थन करने के लिए आवश्यक विशेष कौशल से लैस करने के लिए अधिक व्यापक और निरंतर व्यावसायिक विकास की आवश्यकता है।

मूल्यांकन और मूल्यांकन: वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली पूरी तरह से समावेशी नहीं हो सकती है और सभी छात्रों, विशेष रूप से विकलांगों की क्षमताओं को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है।

इन चुनौतियों का समाधान करने और समावेशी शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए–

नीति कार्यान्वयन को मजबूत करना: जमीनी स्तर पर मौजूदा नीतियों और विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

क्षमता निर्माण: शिक्षकों और अन्य शिक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण और विकास में निवेश करना।
संवेदनशीलता और जागरूकता: अभियानों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से विकलांगता के प्रति जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
बुनियादी ढांचे का विकास: स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी ढाँचा और सहायक प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करना।

समावेशी पाठ्यक्रम और मूल्यांकन: ऐसे पाठ्यक्रम और मूल्यांकन अभ्यास विकसित करना जो सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हों।
सहयोग और भागीदारी: सर्वोत्तम प्रथाओं और संसाधनों को साझा करने के लिए सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

समावेशी शिक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता सराहनीय है, लेकिन महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। समावेशी शिक्षा की क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए, कार्यान्वयन अंतराल को संबोधित करना, मनोवृत्ति संबंधी बाधाओं से निपटना, शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करना, पहुँच में सुधार करना और मूल्यांकन प्रथाओं में सुधार करना अनिवार्य है। इन चुनौतियों पर काबू पाकर, भारत वास्तव में एक समावेशी शिक्षा प्रणाली बना सकता है जो सभी बच्चों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुँचने के लिए सशक्त बनाती है।

सन्दर्भ

- Government of India. (2009). Right to Education Act, 2009.
- Government of India. (2016). Persons with Disabilities Act, 2016.
- UNESCO. (2015). Inclusive Education: The Imperative.
- MHRD. (2010). Sarva Shiksha Abhiyan.
- UNICEF. (2019). State of the World's Children 2019: Children, Food and the Environment.
- World Bank. (2018). World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise.
- Azim Premji Foundation. (2017). Report on the Status of Education in Rural India.